

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062020-219965 CG-DL-W-17062020-219965

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 16]

नई दिल्ली, जून 7--जून 13, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 17--ज्येष्ठ 23, 1942

No. 16]

NEW DELHI, JUNE 7-JUNE 13, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 17-JYAISTHA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सा.का.िन. 83.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (बहु-कार्य कर्मचारी वृंद) भर्ती अधिनियम, 2016 तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1999 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सा.का.िन. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, में आपूर्ति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैक्चई, आपूर्ति अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.—** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए
			स्तर	पद	जाने वाले व्यक्तियों
					के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आपूर्ति अधिकारी	1*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(2020)	सेवा, समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-		
	*कार्यभार के आधार	राजपत्रित,	151100 ₹.)		
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			
	जा सकता है				·

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	· (9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु – लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हता - लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :-	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-		सम्मिलित है पर पद के भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित		
आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और		
(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:-		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायलॉजी या बॉयोकेमिस्ट्रि या बॉयोटेक्नोलॉजी या बी फार्मा या बी टेक (बायोटेक्नोलॉजी) में एम एस सी डिग्री।		•
(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में बायलॉजीकल और फार्मासूटिकल उत्पादों की आपूर्ति शृंखला से संबंधित कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.-12018/07/2017-ईपीआई]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th June, 2020

- G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Supply Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely:
- 1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Supply Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.— No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

- 5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non - selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supply Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependant on workload	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age – Not applicable. Educational Qualification - Not applicable.	Not applicable	Deputation (Including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract):	Not applicable	Consultation with Union Public
Officers under the Central Government or		Service Commission is necessary
State Government or Union Territories or		for filling up the post on deputation
statutory bodies, Public Sector		Including Short Term Contract
Undertakings, Universities, recognised		basis.
research institute:-		
(a) (i) holding analogous posts on regular	·	
basis in the parent cadre or Department;		:
or		
(ii) with two years service in the grade		1.4
rendered after appointment thereto on		
regular basis in level-7 (Rs. 44900-		
142400) or equivalent in parent cadre or		
Department,		
and		· ·
(b) possessing the following qualifications		
and experience-	<u>'</u>	
(i) .M.Sc. Degree in Microbiology or		
Bio-chemistry or Bio-Technology or		
B.Pharma or B.Tech. (Bio-Technology)		· .
from a recognised University or institute.		
(ii) Three years experience in handling		
of supply chain of a Biologicals or		
Pharamacuticals products from a		
recognised institute.		
Note 1: Period of deputation including	•	
period of deputation in another Ex-cadre		
post held immediately preceding this		•
appointment in the same or some other		
Organisation/ Department of the Central		
Government shall ordinarily not exceed		,
three years.		•
Note2: The maximum age-limit for		
appointment by deputation shall be not		
exceeding 56 years as on the closing date of	i i	·
the receipt applications.		<u> </u>

[F. No. A-12018/07/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सा. का. नि. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) (समूह 'क'पद), भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।